"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2019 — फाल्गुन 14, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक 2383/डी. 62/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष कुमार ठाकुर**, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2019)

# छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 14 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 14 में, उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(6) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का

कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) या उप–धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप–धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।"

धारा 36 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"36. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.– (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा;

(2) कार्यपरिषद्, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय–समय पर, कोई परिनियम बना सकेगी, संशोधन कर सकेगी अथवा निरसित कर सकेगी।

(3) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् को किसी नवीन परिनियम का अथवा कार्य परिषद् द्वारा पारित किन्हीं विद्यमान परिनियम में संशोधन अथवा निरसन करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकेगी तथा ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर कार्यपरिषद् द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जायेगा:

परंतु यह कि विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे

परिनियम के या किसी परिनियम ने किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नही करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो, और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तावित प्रारूप पर विचार कर सकेगी एवं उसे या तो पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकृत कर सकेगी अथवा संशोधन सहित या संशोधन के बिना, विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगी।

(5) (क) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य, किसी परिनियम का प्रारूप कार्यपरिषद् को प्रस्तावित कर सकेंगे एवं कार्यपरिषद्, ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी, यदि प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो।

(ख) यदि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर के विषय से संबंधित हो, तो कार्यपरिषद्, उसे विद्यापरिषद् के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो,–

(एक) प्रारूप पर, यदि उसकी असहमति हो तो, अपनी असहमति से कार्यपरिषद् को अवगत करायेगी और तब उसके बारे में यह समझा

जायेगा कि उसे कार्यपरिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(दो) अथवा प्रारूप को कार्यपरिषद् को ऐसे रूप मे, जैसा कि विद्या परिषद् स्वीकृत करे, प्रस्तुत करेगी तथा कार्यपरिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम, राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । कुलाधिपति उस पर अपनी सहमति दे सकते है या सहमति रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार के लिये वापस कर सकते हैं।

(7) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी, यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो।"

4. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः— धारा 38 का संशोधन.

"38. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.— (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। कुलाधिपति अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं ।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश,

कुलाधिपति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगा।"

द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

5 मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) के सरल कमांक 2 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 18 सन् 2008) की धारा 7 का संशोधन.

6. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 18 सन् 2008) के धारा 7 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक 2383/डी. 62/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-03-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2019)

**THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

An Act to further amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 14.**

2. In the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 14, for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

"(6) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Kulapati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise including a

temporary vacancy, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available then on recommendation of the State Government, the Dean of any faculty or the Senior most Professor of the University Teaching Department or any Officer not below the rank of Special Secretary of the State Government to be nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which Kulapati is appointed, for filling such vacancy, under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 13 enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in his sub-section shall not continue for a period of more than six months."

**Amendment of Section 36.**

3. In the Principal Act, for Section 36, the following shall be substituted, namely:-

"36. Statutes how made.-(1) The first statutes of the University shall be prepared by the State Government;

(2) The Executive Council may, from time to time make amend or repeal any statute in the manner hereinafter provided in this Section.

(3) The Academic Council may propose to the Executive Council, the draft of any new statute or of any amendment to, or of repeal of an existing statute to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any statute or any amendment of a statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given any opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) The Executive council may consider the draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) and may either pass or reject or return the draft with or without amendment to the

Academic Council for reconsideration.

(5) (a) Any member of the Executive Council may propose to the Executive Council the draft of a Statutes and the Executive Council may either accept, or reject the draft, if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council;

(b) In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration of the Academic Council, which may,-

(i) either report to the Executive Council that it does not approve the draft, which shall then be deemed to have been rejected by the Executive Council;

(ii) or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the Executive Council may either approve, with or without amendment reject the draft.

(6) A Statute passed by the Executive Council shall be sent to the State Government who with its recommendation shall submit it before the Kuladhipati. Kuladhipati may give or withhold his assent thereto or refer it back for further consideration.

(7) A Statutes passed by the Executive Council shall have no validity unless it has been assented to by the Kuladhipati."

**Amendment of Section 38.**

4. For Section 38 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"38.**Ordinances how made.-** (1) All Ordinances except the first Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) Any Ordinance made by the Executive Council shall be sent to the State Government who with its recommendation shall submit it before the Kuladhipati for his approval. Kuladhipati may either accept or reject the Ordinance.

(3) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the

date of its approval by the Kuladhipati."

**Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.**

5. In entries of column (2) of serial number 2 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, for the words "Sarguja Vishwavidyalaya", the words "Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja" shall be substituted.

**Amendment of Section 7 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (No.18 of 2008).**

6. In clause (b) of sub-section (4) of Section 7 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (No. 18 of 2008), for the words "University of Ambikapur", the words "Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.